

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

संख्या - 325 / 2024

न :

1. शिवभगवान पुत्र रामप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम
रेणू पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,49 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री स सुभाषचन्द्र

:- वादीगण

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 15/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क. वादी शिवभगवान को प्राप्त आराजी:- चकनं० 9 एफटीपी के प०न० 201/247 मु० 8 किलानं० 24/.253, 25/1/.215, 25/2/.038 है० गै०मु० रास्ता

ख. प्रतिवादीया सं० 1 रेणू को प्राप्त आराजी:- चकनं० 9 एफटीपी के प०न० 201/248 मु० 9 किलानं० 5/2/.190, 6/2/.190 है०

उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन करने व चकनं० 9 एफटीपी के खाता सं० 17/15 में से प्रतिवादीया सं० 1 रेणू का हिस्सा कम व चकनं० 9 एफटीपी के खाता सं० 119/21 में से वादी शिवभगवान का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
पदेन सहायक कलक्टर (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी